फैक्स/महत्वपूर्ण

संख्या- 730 /6-पु0-15/2020-6(15)/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक ,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 लखनऊ:दिनांक 18 अगस्त 2020

विषय:- " महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन " की स्थापना विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- डीजी-सात-एस-3(80) / 2019 दिनाँक- 11.12.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश मे महिलाओं एवं बच्चो का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चो के विरुध्द हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु प्रदेश मे एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त संगठन में पुलिस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत महिला उत्पीड़न सम्बन्धी सभी इकाइयों जैसे- महिला सम्मान प्रकोष्ठ,महिला सहायता प्रकोष्ठ, 1090 महिलाओं से सम्बन्धित लोक शिकायत मे प्राप्त होने वाली शिकायतों को एक ही अधिकारी के नियत्रण मे बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु "अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास सुरक्षा " के पद एवं कार्यालय के गठन की संरचना का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि सीबीसीआईडी के अन्तर्गत " पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ " हेतु सृजित पदों को तथा वूमेन पावर लाइन -1090 हेतु निर्धारित पदों को महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित पदों में समाहित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में शासन व्दारा समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं , जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

1. शासनादेश स0- 9236/आठ-1-150 (16) /88 दिनाँक-27.02.1989 स0- 8528/छ:-1-150 (16) / 88 दिनाँक-04.12.1989 व्दारा अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन स्थापित पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. शासनादेश स0- 452/छ -पु0-15-2014 दिनाँक 05.09.2014 व्दारा पुलिस महानिदेशक के अधीन एक महिला सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया गया एवं विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये गये। शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक व्दारा अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को इस प्रकोष्ठ के प्रमुख के रुप मे नामित करने के निर्देश दिये गये तथा प्रकोष्ठ मे आवश्यक अन्य कार्मिकों की तैनाती पुलिस महानिदेशक व्दारा उपलब्ध जनशक्ति से किये जाने के निर्देश दिये गये। महिला सम्मान प्रकोष्ठ के कर्तव्य एवं उद्देश्य सीबीसीआईडी मे सेक्टर स्तर पर स्थापित पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के विवेचनाओं का प्रशासनिक पर्यवेक्षण व अनुश्रवण।

3. गृह सचिव, भारत सरकार के अ0शा0प0स0- 15020/08/2007- एटीसी दिनाँक 16.06.2010 के क्रम मे प्रदेश मे समस्त एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकंग यूनिट (AHTUs) का पर्यवेक्षण महिला सम्मान प्रकोष्ठ व्दारा किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध मे यह प्रदेश की नोडल एजेन्सी होगी।

4. महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश मे वूमेन पावर लाइन- 1090 के प्रभावी क्रियान्यवन हेतु समन्वय / अनुश्रवण / पर्यवेक्षण का कार्य।

- वूमेन पावर लाइन नव गठित महिला सम्मान प्रकोष्ठ के अधीन एवं निर्देशन मे कार्य करेगी। वूमेन पावर इन हेतुआवश्यक कार्मिकों की तैनाती एवं संसाधनों की पूर्ति पुलिस महानिदेशक व्दारा उपलब्ध संसाधनो से की जायेगी।
- वूमेन पावर लाइन-1090 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इसका नियंत्रण कक्ष लखनऊ मे स्थापित रहेगा। इसी नियंत्रण कक्ष से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से दूरभाष स0- 1090 पर काल प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

5. शासनादेश स0-586/छः-पु-15-2014 दिनाँक 29.09.2014 व्दारा वूमेन पावर लाइन- 1090 सेल का सभी कार्य अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में किया गया है।

3. उपर्युक्त प्रस्तर -1 के क्रम उल्लेखनीय है कि अपर पुलिस महानिदेशक, "महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन" की व्यवस्था हेतु किसी भी नवीन पद सृजन की आवश्यकता नही होगी। संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत होगाः -

संरचनात्मक ढांचा

"महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सामान्य दिशा- निर्देश मे कार्य करेगा।

संरचना

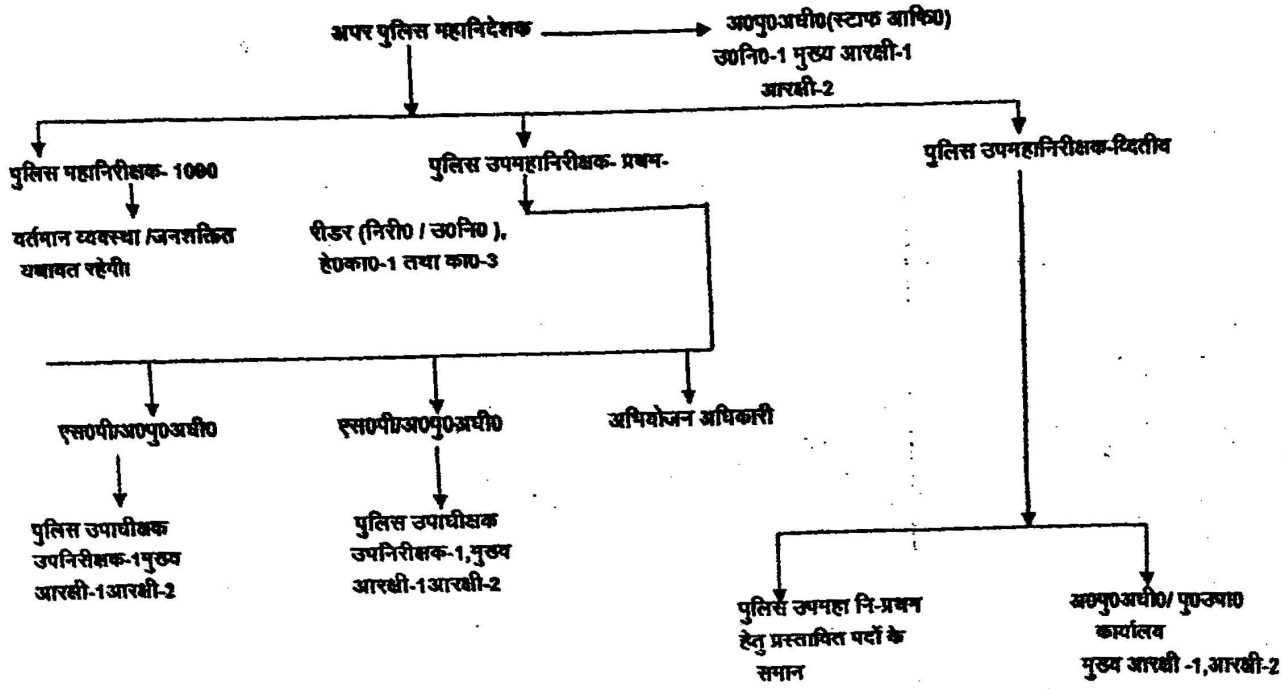

कार्य एवं उत्तरदायित्व

मुख्यालय एवं जोन स्तर पर कार्यरत महिला एवं बाल सुरक्षा के कार्य इस प्रकार होगें-

1. महिलओं के उत्पीड़न के संबन्ध मे जनपदीय पुलिस की कार्यवाही का अनुश्रवण, आकलन तथा मार्गदर्शन के अतिरिक्त महिलाओं संबन्धी अपराधों के मासिक आंकड़ो का संकलन करना।
2. प्रताड़ित महिलाओं को तत्परता से उचित सहायता उपलब्ध कराना।
3. जेण्डर सेन्सिटाइजेशन हेतु सेमीनार, ट्रेनिंग वर्कशाप आदि का प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से आयोजन किया जाना।
4. महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के सम्बन्ध मे पुलिसजनों के लिए पीटीसी, पीटीएस, आरटीसी, आदि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानो के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना।
5. जनपदीय पुलिस थानो को थाना सत्र पर महिलाओं की सुरक्षा इत्यादि सम्बन्धी अघतन विधिक जानकारी से शिक्षित करना।
6. महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामाजिक चेतना विकसित करना।
7. महिलाओं के अधिकारो का व्यापक प्रचार प्रसार करना।
8. महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या के मूल मे जाकर उसके समाधान के सम्बन्ध मे शोध करना।
9. मुख्यालय एवं जोन स्तर पर इन संगठनो मे नियुक्त अधिकारियों व्दारा आकस्मिक फील्ड विजिट कर समीक्षा किया जाना।
10. ह्यूमेन ट्रैफिकिग के विरुध्द कार्ययोजना बनाना एवं इसे रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण एवं आकलन करना।
11. गृह सचिव, भारत सरकार के अशा0 प0 स0- 15020/08 /2007 - एटीसी दिनाँकित 16.06.2010 के क्रम मे प्रदेश मे स्थापित समस्त एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिग व पर्यवेक्षण इस नवगठित प्रकोष्ठ व्दारा किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध मे यह प्रदेश की नोडल एजेन्सी होगी।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये, एवं निदेशक , फारेन्सिक लैब के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं एवं बच्चों के विरुध्द घटित होने वाले अपराधों का डेटावेस उदाहरण के लिए डीएन. डाटा बैंक फार मिसिग पीपुल का सृजन- अनुरक्षण एवं यथा आवश्यक अन्य राज्यों की पुलिस तथा उ0प्र0 पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ सूचना का आदन-प्रदान करना। साथ ही फारेन्सिक सुविधा एवं सहायता का अनुश्रवण एवं त्वरित उपलब्धता कराना।
13. महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश मे वूमेन पावर लाइन, 1090 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय/ अनुश्रवण / पर्यवेक्षण का कार्य।
14. आईजीआरएस /1090/ सीएम हेल्पलाइन इत्यादि से प्राप्त महिला उत्पीड़न संबन्धी शिकायतों को अभिलिखित करते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
15. अन्य विभागों तथा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एव स्वास्थ्य आदि विभागो व्दारा महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग व्दारा समन्वय स्थापित कराना। अन्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्सीय, न्यायिक, मनोवैज्ञानिक, परामर्शी सेवायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे भी पुलिस विभाग की ओर से समन्वय व सहयोग सुनिश्चित कराना।
16. मुख्यालय स्तर पर इस इकाई मे नियुक्त अधिकारियों व्दारा आकस्मिक फील्ड विजीट कर समीक्षा किया जायेगा।
17. शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व्दारा सौपा गया कोई भी कार्य एवं दायित्व का निर्वहन।
18. अभिनव प्रयोगों आई0टी0 का सदुपयोग करते हुए बेसाइट, मोबाइल, एप्स, जियोफेसिंग, आदि तकनीकी का सृजन कर इसका उपयोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सुनिश्चित करेंगे।
19. महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के सम्बन्ध मे विस्तृत कार्यकारी आदेश पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व्दारा निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्त संगठनात्मक व्यवस्था हेतु किसी भी नवीन पद सृजन नही किया जायेगा । सीबीसीआईडी के अन्तर्गत पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ " हेतु सृजित पदों को अपर पुलिस महानिदेशक , महिला एवं बाल सुरक्षा के अन्तर्ग समायोजित कर तथा वूमेन पावर लाइन -1090 हेतु निर्धारित पद महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित पदों समाहित किया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 730 /6-पु0-15/2020-6(15)/2018 एवं दिनाँक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ / 1090 उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप0पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र।

आज्ञा से

(राम निवास शर्मा)
विशेष सचिव